प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 552/2021

राजीव कुमार साहू, पिता ए. आर. साहू, आयु 50 वर्ष, निवासी –त्रिवेणी विहार, रामकृष्ण अस्पताल के पीछे, टिकरापारा रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

---आवेदक

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना–चक्रधर नगर रायगढ़, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़

2.एक्स, पति वाई निवासी जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़(अभियोक्ता की पहचान उजागर नहीं की गई है तथा निर्देश मिलने पर उसकी पहचान बता दी जाएगी)

---उत्तरवादीगण

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :सुश्री फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।

उत्तरवादी सं.1/राज्य हेतु :सुश्री मोनिका ठाकुर, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :श्री प्रभात कुमार सक्सेना, अधिवक्ता।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

16.06.2025

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन शुक्ला की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री फौजिया मिर्जा को सुना गया।उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता सुश्री मोनिका ठाकुर तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सक्सेना को भी सुना गया।

2. आवेदक ने सत्र विचारण क्रमांक 37/2021 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी., जिला–रायगढ़, (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 03.07.2021 के आदेश के विरुद्ध यह दाण्डिक पुनरीक्षण दायर किया है, जिसके तहत आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप विरचित किया गया था।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता, जो बिलासपुर में रहने वाली एक गृहिणी है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, ने दिनांक 03.03.2020 को पुलिस थाना चक्रधर नगर, जिला रायगढ़ में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी बताया गया कि अपनी विवाह के बाद, वह बिलासपुर चली गई और अपने पति के साथ रहने लगी।एक एनजीओ कार्यालय में काम करते समय, उसकी जान–पहचान आवेदक से हुई, जो बिलासपुर आता–जाता था और उससे बातचीत करता था। उसने कथित तौर पर दावा किया कि उसका पति शराबी है और उसकी परवाह नहीं करता और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने का वचन किया।इसी बहाने, उसने उसके लिए एक अलग घर किराए पर लिया और 2008 से उसका यौन शोषण करता रहा।बाद में पीड़िता अपने बच्चों के साथ रायगढ़ चली गई और आवेदक के साथ रहने लगी, जिसने विवाह का वचन करके उसका यौन शोषण जारी रखा, जिसे उसने कभी पूरा नहीं किया।11.11.2019 को, आवेदक ने उससे कहा कि उसे एक सप्ताह के लिए रायपुर जाना है, लेकिन वह वापस नहीं लौटा।पीड़िता ने अभिकथित कि उसकी पत्नी की मृत्यु का दावा करते हुए उसने विवाह का झूठा वचन करके उसके साथ बलात्कार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उसकी रिपोर्ट के आधार पर, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और दं. प्र. सं. की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया।अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात, 22.10.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के समक्ष भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. आवेदक को इस न्यायालय द्वारा एम.सीआर.सी.ए. संख्या 528/2020 में दिनांक 29.06.2020 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

6. दिनांक 03.07.2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), रायगढ़ ने आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित अवलोकन करते हुए आरोप निर्धारित किया:–––

"यह कि, जून 2008 से दिनांक 11.11.2019 के बीच याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र सहमति और इच्छा के बिना अभियोक्ता के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं और इसलिए उसने एक ऐसा अपराध किया है जो भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय है और न्यायालय के संज्ञान में है।"

7. पुलिस थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ में एफआईआर संख्या 68/2020 के पंजीकरण और भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के खिलाफ, आवेदक ने सीआरएमपी संख्या 1220/2020 को प्राथमिकता दी है, जिसे इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया:–––

"उपर्युक्त चर्चा के अवलोकन और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।"

हालाँकि, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।वर्तमान दाण्डिक विविध याचिका पर निर्णय के लिए तथ्यों पर विचार किया गया है।विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस दाण्डिक विविध याचिका पर निर्णय देते समय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, विधि के अनुसार आगे बढ़े।

8. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों के साथ–साथ विधि–विधान में भी त्रुटि की है, जबकि उसने आरोप और अभियोजन पक्ष द्वारा थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ में अपराध संख्या 68/2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धारा 376 के तहत किया गये अन्वेषण पर विचार किए बिना ही भारतीय दंड संहिता कि धारा 376 के तहत आरोप निर्धारित किया है।उन्होंने तर्क दिया कि आरोप–पत्र के साथ संलग्न दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के तहत पड़ोसियों के कथनों से पता चलता है कि आवेदक और परिवादी सहमति से संबंध में थे और पति–पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे।यहां तक कि दं. प्र. सं. की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में भी उसने कहा है कि उसके पिछले पति के साथ उसका विवाह वर्ष 1991 में हुआ था और वह वर्ष 2008 में एक सामाजिक बैठक में अपने पति से अलग हो गई थी और उसका बयान उसी अपराध संख्या में दं. प्र. सं. कि धारा 164 के तहत विद्वान जेएमएफसी, रायगढ़ के समक्ष शपथ के तहत दर्ज किया गया है, यह बयान राजीव की पत्नी एक्स @ एक्स–1 के नाम से दर्ज किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि पुलिस थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराने से एक महीने पहले, परिवादी ने सखी वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ में केंद्र प्रशासक को संबोधित करते हुए दिनांक 04.02.2020 को एक परिवाद दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं को राजीव साहू की एक्स–1 पत्नी बताया था, जिसमें दर्शाया गया था कि उनका बारह वर्ष पहले आवेदक के साथ प्रेम विवाह हुआ था और उनके तीन बच्चे हैं और उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके पति को अपने दायित्वों को पूरा करने की सलाह दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने स्वयं दिनांक 25.02.2020 को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर के समक्ष एक परिवाद दर्ज कराई है जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 2 के आचरण के साथ–साथ उसने विभिन्न सरकारी पहचान दस्तावेजों में अलग–अलग नाम बताकर दस्तावेज तैयार करने के तरीके के बारे में बताया है।परिवादी ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि आवेदक ने उसे विवाह का आश्वासन दिया था और इसी आधार पर वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो गई। परिवादी स्वयं एक विवाहित महिला है और 2008 से उसे जानती है, इसलिए यह अविश्वसनीय है कि आवेदक ने उसे विवाह का झूठा आश्वासन देकर बहकाया है, जबकि वह पति–पत्नी के रूप में रह रही है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने एक मतदाता पहचान पत्र में, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी जारी किया गया है, अपना नाम X-1 W/o-Y लिखा है, इसी प्रकार गैस कनेक्शन फॉर्म और बैंक स्टेटमेंट में भी उसका

नाम X-1 W/o-Y लिखा है। विचारण न्यायालय ने आरोप निर्धारित करते समय ऐसे मूलभूत तथ्यों को छिपाने की अनदेखी की है।उसने आगे तर्क दिया है कि आधार कार्ड में उसका नाम आवेदक की □ पत्नी लिखा है, उसने एक और मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवाया है, जिसमें उसने स्वयं को आवेदक की पत्नी बताया है।रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में उसका नाम आवेदक की पत्नी लिखा है।इससे पहले भी पीड़िता ने 12.01.2020 को पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के समक्ष एक लिखित परिवाद दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि आवेदक राजीव कुमार साहू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं। इसके बाद संबंधित पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने आवेदक के खिलाफ इसी तरह का आरोप लगाया है।उसने तर्क दिया कि आरोप–पत्र के अवलोकन से अभियोजन पक्ष का मामला पर्याप्त साक्ष्यों से भी पुष्ट नहीं होता है और मामला खामियों से भरा है, परिवादी अर्थात उत्तरवादी संख्या 2 की पहचान को प्रमाणित करने के लिए आरोप–पत्र के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। इस प्रकार, पुनरीक्षण की स्वीकृति दी जानी चाहिए और आरोप निर्धारित करने वाला आदेश अभिखंडित किया जाना चाहिए।उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 3431/2023 में दिनांक 06.03.2024 को पारित एक्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य मामलों में तथा विशेष अपील याचिका (दाण्डिक) संख्या 10044/2024 में दिनांक 26.05.2025 को अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता तथा उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आरोप निर्धारण के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोप निर्धारण सही ढंग से किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. यह स्थापित विधि है कि ऐसे मामलों में यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़िता की सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, पीड़िता की आयु, शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।तथ्य की गलत धारणा पर आधारित सहमति संबंधी विधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में संक्षेप में निर्धारित किया गया है।

12. विनोद कुमार बनाम केरल राज्य (2014) 5 एससीसी678 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "अभियोक्ता स्नातक थी और अन्यथा भी वह कमज़ोर बुद्धि वाली भोली–भाली महिला नहीं थी, जैसा कि उस घटनापूर्ण दिन भी सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उसके आचरण से स्पष्ट है।वास्तव में, उसने एक उन्नत और असामान्य स्तर की मानसिक परिपक्वता प्रदर्शित की थी।वह जानती थी कि वैध विवाह नहीं किया जा सकता है और इसलिए, वह इस बात से संतुष्ट थी कि विवाह के लिए एक करार निष्पादित किया जाए।उपरोक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सहमति की उपस्थिति या अनुपस्थिति का आकलन करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि कोई भी पक्ष आवश्यक विशेषताओं से अनभिज्ञ नहीं है; उस मामले में अभियोक्ता को यह विश्वास दिलाया गया था कि अपीलकर्ता के

साथ उसका विवाह विधिवत और वैध रूप से संपन्न हुआ था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलकर्ता द्वारा उसे इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रेरित या प्रेरित किए बिना, केवल इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अस्तित्व के बारे में स्वयं को आश्वस्त करना पर्याप्त नहीं है।किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराना संभव नहीं है जिसने कोई वचन नहीं किया हो या तथ्यों या कानून का कोई गलत विवरण दिया हो या जिसने कोई झूठा परिदृश्य प्रस्तुत किया हो जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया हो।ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एक पक्ष, अपने भ्रम के कारण, एक ऐसे परिदृश्य के अस्तित्व में विश्वास कर सकता है जो विवाह है और जिसके निर्माण में दूसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं है। यदि दूसरा पक्ष सही तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास करने में स्पष्टवादी या ईमानदार है, तो ऐसे पक्ष को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

13. यह निर्धारित करने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है कि पीड़िता द्वारा यौन संबंध के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है या तथ्य की भ्रांति के तहत दी गई है।अंतिम विश्लेषण में, न्यायालयों द्वारा निर्धारित परीक्षण, सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायिक मन को सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन न्यायालय को प्रत्येक मामले में, किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस प्रश्न पर प्रभाव डाल सकते हैं कि सहमति स्वैच्छिक थी या तथ्य की भ्रांति के तहत दी गई थी। उसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक घटक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जिनमें से एक सहमति का अभाव भी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य एवंअन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 अनुपूरक (1)** एससीसी 335 के मामले मेंनिम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:: ---

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न सुसंगत प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुन: प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और उसे जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहाँ दाण्डिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहाँ कार्यवाही अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी व व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से शुरू की गई हो।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एक्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रा)** के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की है:--

"8. परिवाद की विषय–वस्तु से, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा परिवादी द्वारा बयान दर्ज किया गया, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017 में जब दोनों पक्षों के बीच संबंध शुरू हुए थे, तब शुरू में विवाह करने का कोई वचन नहीं किया गया था।किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि जिन तिथियों पर परिवादी ने आरोप लगाया है कि दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध थे, उस समय भी वह पहले से ही विवाहित थी।उसने झूठा दावा किया कि उसकी पिछले विवाह से विवाह विच्छेद 10.12.2018 को हुआ था।हालाँकि, तथ्य यह है कि विवाह विच्छेद का आदेश 13.01.2021 को ही पारित किया गया था।यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ परिवादी अपरिपक्व उम्र की थी जो अपनी भलाई का अनुमान नहीं लगा सकती थी और सही निर्णय नहीं ले सकती थी।वह अपीलकर्ता से लगभग दस वर्ष बड़ी एक वयस्क महिला थी।वह इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह उन नैतिक और अनैतिक कार्यों के परिणामों को समझ सकती थी जिनके लिए उसने अपनी पिछली शादी के दौरान सहमति दी थी।वास्तव में, यह अपने पति को धोखा देने का मामला थाअभियोक्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि अपीलकर्ता के नौकरी के लिए महाराष्ट्र चले जाने के बाद भी, वह परिवार के साथ आकर रहता था और वे पति–पत्नी के रूप में रह रहे थे।अपीलकर्ता का यह भी तर्क था कि उसने बैंकिंग माध्यम से अभियोक्ता को 1,00,000/– रुपए का ऋण दिया था, जो वापस नहीं किया गया था।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमोल भगवान नेहुल (सुप्रा)** मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की है: ––––

"9. हमारे सुविचारित विचार में, यह ऐसा मामला भी नहीं है जहाँ शुरू से ही विवाह करने का झूठा वचन किया गया हो।सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या जोड़ीदार का दूर हो जाना राज्य की आपराधिक तंत्र को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।ऐसा आचरण न केवल न्यायालयों पर बोझ डालता है, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए व्यक्ति की पहचान को भी धूमिल करता है।इस न्यायालय ने बार–बार प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है, और विवाह करने के वादे के प्रत्येक उल्लंघन को झूठा वचन मानना और किसी व्यक्ति पर भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत अपराध का वाद चलाना मूर्खता करार दिया है [नईम अहमद बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी), (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 89 में रिपोर्ट किया गया]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई और दलीलों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी और आवेदक दोनों विवाहित हैं।परिवादी/पीड़िता अपनी सहमति से आवेदक के साथ पति–पत्नी के रूप में रह रही थी और उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे।इसके अलावा, यह तथ्य कि पीड़िता/परिवादी ने सभी सरकारी पहचान पत्रों पर अपने पति का नाम बदलकर वर्तमान आवेदक का नाम लिख दिया है, इस बात की पुष्टि करता है कि वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ रह रही थी।

18. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़िता/परिवादी 2008 से आवेदक के साथ रह रही है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसने सभी सरकारी पहचान पत्रों पर अपने पति का नाम बदलकर वर्तमान आवेदक कर दिया है, यह इस बात की पुष्टि करता है कि वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ रह रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित विधि पर भी विचार करते हुए, मेरा विचार है कि आवेदक ने हस्तक्षेप का मामला बनाया है।

19. तदनुसार, दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकृति दी जाती है और सत्र विचारण संख्या 37/2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित दिनांक 03.07.2021 के आदेश, जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया था, को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

20. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

सही/–

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट :

सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या जोडीदार का दूर हो जाना राज्य की आपराधिक तंत्र को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।ऐसा आचरण न केवल न्यायालयों पर भार डालता है, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध के दोषी व्यक्ति की पहचान को भी धूमिल करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur